

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2019—फाल्गुन 24, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

क्र. सीमावृद्धि-2019

अशोकनगर, दिनांक 28 फरवरी 2019

!! प्रारंभिक अधिसूचना !!

क्रमांक/सीमावृद्धि/2019/63 दिनांक 28.02.2019 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र-37-1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नगर पालिका परिषद अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.) की सीमा अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है, अनुसूची-एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगर पालिका परिषद अशोकनगर की सीमा में शामिल हो जाने पर नगर पालिका परिषद अशोकनगर की चतुरसीमा अनुसूची-दो के अनुसार हो जायेगी।

अनुसूची-एक के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से अपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर, जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा, प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

अनुसूची-एक

नगर पालिका क्षेत्र अशोकनगर की सीमाओं में सम्मिलित किये गये ग्रामों का क्षेत्र

क्र०	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे न०	कुल सर्वे न०	क्षेत्रफल हे० में	क्षेत्रफल का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अशोकनगर	पड़रिया	168 से 174, 176, 177, 302 से 316 तक	24	17.180	आंशिक	—
2	अशोकनगर	पछारी	5 से 7, 13, 18 से 22, 149 से 160, 296 से 316	39	27.103	आंशिक	—
3	अशोकनगर	टकनेरी	130 से 138, 160 से 178, 190 से 202, 244 से 265	63	19.813	आंशिक	—
4	अशोकनगर	शंकरपुर	1 से 220	220	286.010	सम्पूर्ण	—
			योग	346	350.106		

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात अशोकनगर नगरपालिका परिषद की चतुर्थ सीमाएँ निम्नानुसार होगी :-

- उत्तर दिशा — ग्राम पछारी में स्थित सर्किट हाउस व तुलसी पार्क की आखरी सीमा तक।
 पूर्व दिशा — ग्राम टकनेरी की आदिवासी बस्ती की आखरी सीमा तक।
 दक्षिण दिशा — ग्राम मोहरीराय की सीमा तक।
 पश्चिम दिशा — पुलिस लाईन व जेल की आखरी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मंजू शर्मा, कलेक्टर.